

संख्या 3460 /ओएसडी/डीएम/कोरोना-रोकथाम-2020

दिनांक : 22-03-2020

शिविर कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।

आदेश

जनपद कानपुर नगर में कोविड-19 (कोरोना वायरस रोग) से बचाव, सावधानियों एवं जन-सामान्य को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए निम्नांकित नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	नोडल अधिकारी का नाम एवं दूरभाष संख्या	सहायक नोडल अधिकारी का नाम एवं दूरभाष नम्बर
1-	Sample collection	डॉ० देव सिंह-9473701284	श्री जितेन्द्र थारू-8707081989
2-	Isolation ward	डॉ० सुबोध प्रकाश-9838340355	डॉ० अरविन्द यादव-9005951022
3-	Area surveillance	डॉ० ए०के०सिंह-9399201011	डॉ० देव सिंह-9473701284
4-	Contacts Suveillance	डॉ० ए०पी०मिश्रा-9450595815	जिला मलेरिया अधि०-9451122959
5-	I.E.C. Training/ Advisory	श्री शैलेन्द्र मिश्रा-9415635395	श्रीमती इन्दू जायसवाल-9453020044
6-	Screening	डॉ० शैलेन्द्र तिवारी, यू०एच०एम० मो०-9415126141	डॉ० आनन्द कुमार-8687273007
7-	Mopping	डॉ० जी०के०मिश्रा-9984674295	डॉ० ए०के०कनौजिया-6388599586
8-	Control Room No.	डॉ०ए०के०गुप्ता-9450225326	डॉ०आर०के०गुप्ता-9415576825
9-	Interview	डॉ० अशोक शुक्ला, सीएमओ अथवा उनके द्वारा नामित डॉक्टर	9415001061

अतः उपरोक्तानुसार नामित नोडल अधिकारीगण अपने-अपने आवंटित कार्यों हेतु अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के साथ भ्रमणशील रहकर नोबल कोरोना वायरस के मरीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति/मरीज की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल उसका साक्षात्कार/चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसे समुचित उपचार की समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

वर्तमान में वायरस के प्रभाव के चलते दुकानदारों द्वारा ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से साधारण मास्क, एन-95 मास्क, सेनिटाइजर, अवैध सेनिटाइजर एवं आवश्यक औषधियों की काला-बाजारी कर अधिक मूल्य पर बेचने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं औषधी निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में सघन जांच करते हुए काला-बाजारी पर प्रभावी नियंत्रण एवं अंकुश लगाते हुए निर्धारित दरों पर बिक्री कराएँ तथा कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जायेगा।

नगर आयुक्त नगर निगम, कानपुर नगर के माध्यम से वार्डवार कर्मचारियों को लगाकर फागिंग कराने का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही समस्त संबंधित अधिकारी जन-सामान्य को नोबल कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।

(डा० ब्रह्म देव राम तिवारी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कानपुर नगर।